

प्रेस नोट दिनांक 07-11-2021

थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा मोटर साइकिल चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 03 शातिर वाहन चोर गिरफ्तार, कब्जे/निशादेही पर चोरी की 02 मोटर साइकिल, 02 एक्टिवा स्कूटी व 02

नाजायज चाकू बरामद:-

अवगत कराना है कि दिनांक 05.11.2021 को श्री शिवचरण पुत्र रतीराम नि0 न्यू आवास विकास थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर द्वारा थाना सदर बाजार पर सूचना अंकित करायी गयी कि दिनांक 3.11.2021 को समय लगभग 05.00 बजे शाम उसकी स्कूटी होण्डा एक्टिवा नं0 यू पी 11 एच-3982 न्यू श्री जी इलैक्ट्रानिक्स के बराबर से चोरी हो गयी है, स्कूटी को काफी जगह तलाश किया लेकिन नहीं मिली। वादी की इस सूचना पर मु0अ0सं0 537/21 धारा 379 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत कर स्कूटी एवम बदमाशो की तलाश प्रारम्भ की गयी। चोरी की घटना की गम्भीरता को देखते हुए शीघ्र एवम सफल अनावरण हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशानुसार, पुलिस अधीक्षक नगर, सहारनपुर व क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के कुशल पर्यवेक्षण मे प्रभारी निरीक्षक सदर बाजार के नेतृत्व मे टीम गठित की गयी। पुलिस टीम द्वारा तत्परता से घटनास्थलो के आस पास लगे सीसीटीवी कैमरो से घटना के समय की फुटेज निकालकर उनका गहनता से अवलोकन किया गया तथा बदमाशो को चिन्हित करने की कार्यवाही की गयी। दिनांक 06.11.2021 को समय 16.25 बजे थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर सोफिया स्कूल वाले रास्ते पर घेराबन्दी करके 03 बदमाशो को एक स्कूटी होण्डा एक्टिवा, दो अदद चाकू सहित गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगणो से की गयी गहन पूछताछ पर इनके द्वारा घटनाओ की स्वीकारोक्ति करते हुए पूर्व मे भी मोटर साइकिल व स्कूटी चोरी करना बताया तथा इनकी निशादेही पर आवास विकास कालोनी मे खाली पडे मकान से इनके द्वारा पूर्व मे चोरी करके खडी की गयी 02 अदद मोटर साइकिल व 01 स्कूटी भी बरामद करने मे सफलता प्राप्त की गयी। अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना सदर बाजार पर मु0अ0 सं0 540/21 धारा 420,465,414,411 भादवि व मु0अ0सं0 541/21 व मु0अ0सं0 542/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किये गये है। अभियुक्तगण द्वारा पूछताछ पर बरामद मोटर साइकिल जनपद हरिद्वार उत्तराखण्ड से व बरामद दूसरी एक्टिवा जनपद सहारनपुर से ही चोरी करना तथा बेचने के लिए छुपाकर रखना बताया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता:-

- रोबिन कुमार पुत्र रमेश निवासी नैन सोभ थाना नांगल जिला स0पुर।
- सावन कुमार पुत्र सुरेशपाल नि0 उमरी खुर्द थाना रामपुर मनिहारन जिला स0पुर।
- अमरीश कुमार पुत्र राजपाल निवासी बग्गाखेडी थाना रामपुर मनिहारन जिला स0पुर।

बरामदगी का विवरण:-

- 01 अदद स्कूटी होण्डा एक्टिवा नं0 यू पी 11 एच 3982 सम्बन्धित मु0 अ0 सं0 537/2021 धारा 379 भादवि थाना सदर बाजार
- 01 अदद मोटरसाइकिल स्पलेंडर प्लस नं0 यू के 08 यू 6125 चेचिस न0 MBLHA10AMCHG32787 इंजन नं0 HA10EJGHG25645 (वास्तविक नं0 यू के 08 वाई 9577)
- 01 अदद मोटरसाइकिल स्पलेंडर प्रो बिना नं0 व चैसिस नं0 MBLHA10ADCHA07029 इंजन नं0 HA10EHCHA07442 (वास्तविक नं0 यू के 08 एक्स 0080) सम्बन्धित मु0 अ0 सं0 284/21 धारा 379 भादवि थाना सिडकुल हरिद्वार।
- 01 अदद स्कूटी एक्टिवा नं0 यू पी 11 ए एन 9321 चेचिस न0 ME4JF501LDT112913 इंजन नं0 JF50ET0112771 (वास्तविक न0 यू पी 11 ए एन 9321)
- 02 अदद चाकू

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

- ❖ हरेन्द्र सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना सदर बाजार, स0पुर
- ❖ व.उ.नि. श्री मनोज कुमार थाना सदर बाजार स0पुर
- ❖ उ0नि0 श्री विकास चारण थाना सदर बाजार स0पुर
- ❖ उ0नि0 श्री विपिन मलिक थाना सदर बाजार स0पुर
- ❖ उ0 नि0 श्री नीशू तोमर थाना सदर बाजार स0पुर
- ❖ का0 2051 प्रयास, का0 1808 आशीष कुमार का0 1008 कपिल ढाका, का0 1386 अजीत थाना सदर बाजार स0पुर

प्रेस नोट

थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर महोदय के आदेश के अनुरूप में पुलिस अधीक्षक नगर महोदय के निर्देशन में तथा सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम महोदय के निकट पर्यवेक्षण में अपराधियों के विरुद्ध चलाये गये अभियान के अन्तर्गत थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर पुलिस द्वारा दिनांक 06.11.2021 को हिस्ट्रीशीटर अपराधी जहाँगीर पुत्र जाहिद निवासी मोमीन नगर मानकमऊ थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर को 16 ग्राम अवैध स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त जहाँगीर के विरुद्ध विभिन्न थानों पर दर्जनो मुकदमे दर्ज हैं।

दिनांक 06.11.21 को उ०नि० मौ० जहाँगीर मय उ०नि० क्षीतिज कुमार मय हमराहीयान का० 1315 कपिल व का० 81 यतेन्द्र कुमार द्वारा दौराने चैकिंग व गश्त ईदगाह के निकट ग्राम राजपुरा की ओर से समय करीब 17.35 बजे अभियुक्त जहाँगीर पुत्र जाहिद निवासी मोमीन नगर मानकमऊ थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर को 16 ग्राम स्मैक सहित गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना हाजा पर मु०अ०स० 394/21 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया। अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

नाम/पता गिरफ्तार अभियुक्त-

जहाँगीर पुत्र जाहिद निवासी मोमीन नगर मानकमऊ थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:- 16 ग्राम अवैध स्मैक बरामद किया गया।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त जहाँगीर पुत्र जाहिद:-

1. मु०अ०स० 316/15 धारा 392/411 भादवि थाना चिलकाना
2. मु०अ०स० 329/15 धारा 399/402 भादवि थाना चिलकाना
3. मु०अ०स० 330/15 धारा 41/102 सीआरपीसी थाना चिलकाना
4. मु०अ०स० 173/16 धारा 18/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कुतुबशेर
5. मु०अ०स० 278/16 धारा 3 युपी गुण्डा अधि० थाना कुतुबशेर
6. मु०अ०स० 528/17 धारा 110 जी सीआरपीसी थाना कुतुबशेर
7. मु०अ०स० 608/17 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कुतुबशेर
8. मु०अ०स० 158/18 धारा 10 युपी गुण्डा अधि० थाना कुतुबशेर
9. मु०अ०स० 651/18 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कुतुबशेर
10. मु०अ०स० 142/19 धारा 307 भादवि थाना कुतुबशेर
11. मु०अ०स० 159/19 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना कुतुबशेर
12. मु०अ०स 160/19 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कुतुबशेर
13. मु०अ०स० 246/19 धारा 307 भादवि थाना कुतुबशेर
14. मु०अ०स० 247/19 धारा 3/25 आयुध अधि० थाना कुतुबशेर
15. मु०अ०स० 248/19 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट
16. मु०अ०स० 265/20 धारा 307 भादवि थाना बेहट
17. मु०अ०स० 394/21 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना कुतुबशेर

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक प्रभाकर कैन्तुरा
2. उ०नि० मौ० जहाँगीर
3. उ०नि० क्षीतिज कुमार
4. का० 1315 कपिल
5. का० 81 यतेन्द्र कुमार

प्रेस नोट दिनांक 07-11-2021

थाना कुतुबशेर, सहारनपुर पुलिस द्वारा मोबाइल चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 01 शातिर चोर को किया गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का 01 मोबाइल फोन बरामद:-

दिनांक 06.11.21 को वादी कृष्णपाल s/o श्री ओमप्रकाश ग्रा0 इस्माईलपुर थाना कुतुबशेर सहारनपुर द्वारा अज्ञात चोर द्वारा वादी के भाई रजत के घर से उसकी पत्नी का मोबाईल चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में तहरीर दी थी जिसके सम्बन्ध में त्वरित कार्यवाही करते हुए थाना कुतुबशेर पर मु0अ0स0 395/21 धारा 380 भादवि पंजीकृत कर विवेचना उ0नि0 शीशपाल सिंह के सुपुर्द की गयी थी।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर महोदय के निर्देशों के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर एवं सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम, सहारनपुर के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 07.11.21 को उ0नि0 शीशपाल सिंह व HC 22 नकुल कुमार व का0 1416 विपिन कुमार द्वारा मु0अ0स0 395/21 धारा 380 भादवि की घटना का सफल अनावरण करते हुए अभियुक्त गुलशन पुत्र स्व0 ज्ञानचन्द निवासी वीदपुर थाना सरसावा जिला सहारनपुर को भाउपुर पुलिया के पास से समय करीब 10.35 बजे मुकदमा उपरोक्त में चोरी किये गये मोबाईल MI REDMI 09 के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण को थाना कुतुबशेर पर पंजीकृत मु0अ0स0 395/21 धारा 380/411 भादवि में माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1-गुलशन पुत्र स्व ज्ञानचन्द निवासी वीदपुर थाना सरसावा जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

1-एक अदद चोरी किया गया मोबाईल MI REDMI 09

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1-प्रभारी निरीक्षक प्रभाकर कैन्तुरा

2-उ0नि0 राजेन्द्र कुमार

3-उ0नि0 शीशपाल सिंह

4-HC 22 नकुल कुमार

5-का0 1416 विपिन कुमार

डायवर्जन प्रेस नोट दिनांक 07-11-2021

अवगत कराना है कि दिनांक: 08.11.2021 से 09.11.2021 तक सरसावा थाना क्षेत्रान्तर्गत पिलखनी अम्बाला रोड सहारनपुर पर राधा स्वामी सत्संग द्वारा किये जाने वाले कार्यक्रम के दौरान यातायात व्यवस्था के सुगम संचालन के दृष्टिगत यातायात डायवर्जन की व्यवस्था की गई है। जो दिनांक 08.11.2021 को समय 16:00 बजे से लागू होकर दिनांक 09.11.2021 को अग्रिम आदेश तक प्रभावी रहेगा। समस्त थाना प्रभारियों को निर्देशित किया जाता है, कि अपने-अपने क्षेत्र में प्रत्येक डायवर्जन वाले स्थान पर पर्याप्त पुलिस बल नियुक्त कर डायवर्जन को कड़ाई से लागू कराएंगे। प्रभारी यातायात को निर्देशित किया जाता है कि प्रत्येक महत्वपूर्ण स्थानों पर यातायात कर्मियों को नियुक्त कर समय से यातायात डायवर्जन की व्यवस्था करेंगे तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि डायवर्जन के दौरान कोई भी भारी वाहन कार्यक्रम स्थल की ओर नहीं आने दिया जाये। भारी वाहनों का डायवर्जन निम्नानुसार रहेगा-

1. थाना प्रभारी गागलहेडी बाईपास कट से शहर प्रवेश मार्ग पर पर्याप्त पुलिस बल की डियूटी लगाकर डायवर्जन का अनुपालन कराएंगे, कि समस्त प्रकार के वाहन (ट्रक/ट्रैक्टर ट्राली आदि) (पिलखनी सत्संग में आने वाले वाहनों को छोड़कर) जिन्हे यमुनानगर/अम्बाला की ओर जाना है, उन्हे बाईपास पर संचालित कराएंगे।
2. थाना प्रभारी सरसावा, बाईपास से शहर प्रवेश मार्ग पर पर्याप्त पुलिस बल की डियूटी लगाकर डायवर्जन का अनुपालन कराएंगे कि समस्त प्रकार के वाहन (ट्रक/ट्रैक्टर ट्राली आदि) (पिलखनी सत्संग में आने वाले वाहनों को छोड़कर) जिन्हे देहरादून की ओर जाना है, उन्हे बाईपास से ही संचालित कराएंगे।
3. थाना प्रभारी रामपुर मनिहारान चुन्हेटी बाईपास सर्विस रोड पर पर्याप्त पुलिस बल की डियूटी लगाकर डायवर्जन का अनुपालन कराएंगे कि किसी भी प्रकार का भारी वाहन (ट्रक/ट्रैक्टर ट्राली आदि) (पिलखनी सत्संग में आने वाले वाहनों को छोड़कर) जिन्हे देहरादून/अम्बाला की ओर जाना है, उन्हे बाईपास से ही संचालित कराएंगे।
4. थाना प्रभारी नागल लाखनोर बाईपास सर्विस रोड पर पर्याप्त पुलिस बल की डियूटी लगाकर डायवर्जन का अनुपालन कराएंगे कि समस्त प्रकार के वाहन (ट्रक/ट्रैक्टर ट्राली आदि) (पिलखनी सत्संग में आने वाले वाहनों को छोड़कर) जिन्हे देहरादून/अम्बाला की ओर जाना है, उन्हे लाखनोर से बाईपास पर ही संचालित कराएंगे।
- 5 विकासनगर/बेहट की ओर से आने वाले भारी वाहन (ट्रक/ट्रैक्टर ट्राली) (पिलखनी सत्संग में आने वाले वाहनों को छोड़कर) आदि जिन्हें दिल्ली की ओर जाना है वह कलसिया तिराहे से छुटमलपुर से गागलहेडी से देवबन्द से नानौता होकर जायेंगे।

नोट:-

- 1- थाना प्रभारी गागलहेडी गागलहेडी चौक पर पर्याप्त पुलिस बल लगाकर यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी प्रकार का भारी वाहन शहर की ओर नहीं आने दिया जायेगा, परन्तु ऐसे वाहन जो सहारनपुर ट्रान्सपोर्ट नगर में सामान उतारना चाहते हैं वे रात्रि 22:00 बजे से प्रातः 06:00 बजे तक चौकी चुनहेटी पर इस सम्बन्धी दस्तावेज प्रस्तुत कर आ सकेंगे।
- 2- थाना प्रभारी नागल यह सुनिश्चित करेंगे कि ब्लॉक तिराहा नागल से किसी भी प्रकार का भारी वाहन शहर की ओर नहीं आने दिया जायेगा।
- 3- चौकी प्रभारी शेखपुरा कदीम यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी प्रकार का भारी वाहन शहर की ओर नहीं आने देंगे।
- 4- चौकी प्रभारी राकेश कैमिकल यह सुनिश्चित करेंगे कि ट्रान्सपोर्ट नगर व गागलहेडी की ओर से किसी प्रकार का भारी वाहन शहर की ओर नहीं आने दिया जायेगा।
- 5- चौकी प्रभारी आवास विकास यह सुनिश्चित करेंगे कि ट्रान्सपोर्ट नगर व गागलहेडी की ओर से किसी प्रकार का भारी वाहन शहर की ओर नहीं आने दिया जायेगा।

- 6- चौकी प्रभारी यह सुनिश्चित करेंगे की रामपुर की ओर से किसी प्रकार का भारी वाहन शहर की ओर नहीं आने दिया जायेगा, परन्तु ऐसे वाहन जो सहारनपुर ट्रान्सपोर्ट नगर में सामान उतारना चाहते हैं वे रात्रि 22:00 बजे से प्रातः 06:00 बजे तक चौकी चुनहेटी पर इस सम्बन्धी दस्तावेज प्रस्तुत कर आ सकेंगे।
- 7- चौकी प्रभारी मानकमउ यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी प्रकार का भारी वाहन शहर की ओर नहीं आने दिया जायेगा।
- 8- थाना प्रभारी मण्डी, मण्डी समिति गेट पर डियूटी लगाकर यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी प्रकार का भारी वाहन मण्डी समिति से अम्बाला रोड की ओर नहीं आयेगा।
- 9- थाना प्रभारी सरसावा यह सुनिश्चित करेंगे कि राधा स्वामी सत्संग व्यास कार्यक्रम पिलखनी पर पर्याप्त पुलिस बल की डियूटी समय से लगाकर यातायात व्यवस्था बनाया जाना सुनिश्चित करेंगे।
- 10- थाना प्रभारी कुतुबशेर यह सुनिश्चित करेंगे कि चौकी रजवाहा पटरी एवं नकुड तिराहा से किसी प्रकार का भारी वाहन अम्बाला रोड पर नहीं आने दिया जायेगा।
- 11- समस्त सम्बन्धित थाना प्रभारी यह भी सुनिश्चित करेंगे कि डायवर्जन के दौरान सत्संग व्यास पिलखनी में आने वाले वाहन जिन पर सत्संग सम्बन्धित झण्डे लगे हों को सत्संग व्यास पिलखनी आने दिया जाये।



प्रेस नोट दिनांक 07.11.2021 थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय सहारनपुर व श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय सहारनपुर द्वारा निर्गत आदेशो निर्देशो के अनुपालन मे तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी बेहट महोदय के निकट पर्यवेक्षण मे संदिग्ध व्यक्ति/वांछितो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे चैकिंग अभियान के अन्तर्गत श्री मनोज चौधरी थानाध्यक्ष थाना बिहारीगढ के कुशल नेतृत्व मे थाना बिहारीगढ पुलिस द्वारा सतपुरा स्टोन क्रेशर से अभियुक्त शेखर पुत्र ईसम सिंह निवासी ग्राम नौरंगपुर थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर को 150 ग्राम चरस के साथ दिनांक 06.11.2021 को समय 17.50 बजे गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 205/2021 धारा 8/20 NDPS ACT पंजीकृत किया गया। अभि0 को आज दिनांक 07.11.2021 मा0न्या0 के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभि0 का नाम व पता:-

1. शेखर पुत्र ईसम सिंह निवासी ग्राम नौरंगपुर थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

1. उ0नि0 श्री नीरज सिंह
2. का0 666 अरविन्द कुमार

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 07-11-2021

थाना कु0शेर पुलिस द्वारा नाजायज चाकू सहित 01 अभियुक्त गिरफ्तार:-

दिनांक 06-11-2021 को थाना कु0शेर पुलिस द्वारा पीर व शमशान घाट हरौली नहर रोड़ से अभि0 अंकित उर्फ काला पुत्र राजू निवासी रविदास मन्दिर के पास मानकमऊ थाना कु0शेर, सहारनपुर को 01 नाजायज चाकू सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना कु0शेर पर मु0अ0सं0 393/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

थाना को0देहात पुलिस द्वारा जुआ खेलते समय 04 अभियुक्त गिरफ्तार:-

दिनांक 06-11-2021 को थाना को0देहात पुलिस द्वारा टपरी शेखपुरा कदीम बाईपास कासिम के बाग से अभि0 1-तनवीर पुत्र शकूर 2-धर्मवीर पुत्र सुखराम 3-राजेश पुत्र ज्योति 4-शिवकुमार पुत्र रामस्वरुप निवासीगण मौ0 दरवारा शेखपुरा कदीम थाना को0देहात, सहारनपुर को आपस में रुपयो की हारजीत की बाजी लगाकर ताश के पत्तो द्वारा जुआ खेलते समय 52 अद्द ताश के पत्ते व 4350/-रुपये नगद सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना को0देहात पर मु0अ0सं0 562/21 धारा 13 जुआ अधि0 पंजीकृत किया गया।

थाना को0देहात पुलिस द्वारा नाजायज चाकू सहित 01 अभियुक्त गिरफ्तार:-

दिनांक 06-11-2021 को थाना को0देहात पुलिस द्वारा संतागढ से अभि0 समीम पुत्र अली हसन निवासी शेखपुरा कदीम थाना को0देहात, सहारनपुर को 01 नाजायज चाकू सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना को0देहात पर मु0अ0सं0 563/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

थाना जनकपुरी पुलिस द्वारा नाजायज चाकू सहित 01 अभियुक्त गिरफ्तार:-

दिनांक 06-11-2021 को थाना जनकपुरी पुलिस द्वारा तिकोनी कोठी के पास से अभि0 नितिन पुत्र राजेन्द्र सिंह निवासी नवीननगर थाना सदर बाजार, सहारनपुर को 01 नाजायज चाकू सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना जनकपुरी पर मु0अ0सं0 317/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

थाना चिलकाना पुलिस द्वारा चरस सहित 01 अभियुक्त गिरफ्तार:-

दिनांक 06-11-2021 को थाना चिलकाना पुलिस द्वारा दूमझेड़ा पुल के पास से अभि0 सोनू पुत्र रामस्वरुप निवासी ग्राम दूमझेड़ा थाना चिलकाना, सहारनपुर को 250 ग्राम चरस सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना चिलकाना पर मु0अ0सं0 396/21 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया।

थाना गंगोह पुलिस द्वारा जुआ खेलते समय 02 अभियुक्त गिरफ्तार:-

दिनांक 06-11-2021 को थाना गंगोह पुलिस द्वारा मौ0 टाकान कस्बा गंगोह से अभि0 1-विशाल पुत्र पवन 2-सुनील पुत्र सूरजभान निवासी मौ0 टाकान थाना गंगोह, सहारनपुर को आपस में रुपयो की हारजीत की बाजी लगाकर ताश के पत्तो द्वारा जुआ खेलते समय 52 अद्द ताश के पत्ते व 1580/-रुपये नगद सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना गंगोह पर मु0अ0सं0 539/21 धारा 13 जुआ अधि0 पंजीकृत किया गया।